# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 27/2022** **दायर दिनांकः 10/10/2022**
**रजि0 नं0 2022/275**

**उनवान**

1. राजाराम आयु 39 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति मीना निवासी जिरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट**

उपस्थित :—
प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

**आदेश** **दिनाकः 27/03/2023**

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का इस आश्य का पेश किया है कि ग्राम एवं माल जिरोद पटवार हल्का जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की आराजी खाता संख्या 246 का ख.नं. 115 का रकबा 1.74 हे0, ख.नं. 132 का रकबा 1.59 हे0, ख.नं. 135 का रकबा 3.29 हे०. कुल किता 3 का कुल रकबा 6.62 हेक्टर आराजी प्रार्थी के अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 4/15 दर्ज है। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थी को घर पर राज्या कहने के कारण प्रार्थी का नाम राजेन्द्र गलत दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का सही नाम राजाराम है। प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जॉब कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत जिरोद के प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम राजाराम सही दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र के स्थान पर सही नाम राजाराम दर्ज करवाया

जाना सम्भव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम राजाराम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र के स्थान पर सही नाम राजाराम दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र के स्थान पर सही नाम राजाराम पुत्र भैरूलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

3. साक्ष्यप्रार्थी के तहत pw 1 से pw 2 के शपथ पत्र पेश किये गये। pw 1 राजाराम पुत्र भैरूलाल जाति मीना निवासी जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0) का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी ने बयान किया कि ग्राम एवं माल जिरोद पटवार हल्का जिरोद तहसील अटरू जिला बारा (राज0) की आराजी खाता संख्या 246 का ख.नं. 115 का रकबा 1.74 हे0, ख.नं. 132 का रकबा 1.59 हे0. ख.नं. 135 का रकबा 3.29 हे0 कुल किता 3 का कुल रकबा 6.62 हेक्टर आराजी मेरे अन्य सहखातेदारान साथ के दर्ज खाता स्थित है। जिसने मेरा हिस्सा 4/15 दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने मुझे घर पर राज्या कहने के कारण मेरा नाम राजेन्द्र गलत दर्ज कर दिया है जबकि मेरा सही नाम राजाराम है मेरे दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जॉब कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत, जिरोद के प्रमाण पत्र में मेरा नाम राजाराम सही दर्ज है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में मेरा नाम राजेन्द्र के स्थान पर सही नाम राजाराम पुत्र भैरूलाल दर्ज किया जावे।

pw 2 बिरधी बाई पत्नि स्व० भैरूलाल जाति मीना निवासी जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0) का शपथ पत्र पेश किया गया। बिरधी बाई ने सशपथ बयान किये कि ग्राम एवं माल जिरोद की आराजी खाता संख्या 246 का ख.नं. 115 का रकबा 1.74 हे0, ख.नं. 132 का रकबा 1.59 हे0, ख.नं. 135 का रकबा 3.29 हे0 कुल किता 3 का कुल रकबा 6.62 हेक्टर आराजी मेरे

अन्य सहखातेदारान साथ के दर्ज खाता स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने मेरे पुत्र को घर पर राज्या कहने के कारण उसका नाम राजेन्द्र गलत दर्ज कर दिया है जबकि उसका सही नाम राजाराम है। उसके दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जॉब कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत, जिरोद के प्रमाण पत्र में उसका नाम राजाराम सही दर्ज है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में मेरे पुत्र का नाम राजेन्द्र के स्थान पर सही नाम राजाराम पुत्र भैरूलाल दर्ज किया जावे।

**4.** अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम जिरोद की आराजी खाता संख्या 246 कुल किता 3 का कुल रकबा 6.62 हेक्टर आराजी में प्रार्थी को घर पर राज्या कहने के कारण प्रार्थी का नाम राजेन्द्र गलत दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का सही नाम राजाराम है जो उसके दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जॉब कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत, जिरोद के प्रमाण पत्र में मेरा नाम राजाराम सही दर्ज है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र के स्थान पर सही नाम राजाराम पुत्र भैरूलाल दर्ज किया जावे।

5. अभिभाषक प्रार्थी की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम जिरोद की प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 246 ख0नं0 115 की 1.74 है0, ख0नं0 132 की 1.59 है0, ख0नं0 135 की 3.29 है0 किता 3 कुल रकबा 6.62 है0 आराजी में प्रार्थी का नाम शामलाती खाते में राजेन्द्र पुत्र भैरू हिस्सा 4/15 दर्ज रिकार्ड है।

प्रस्तुत अन्य दस्तावेज प्रार्थी का नाम आधार कार्ड प्रदर्श 2ए, भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 3ए, ड्राईविंग लाईसेंस प्रदर्श 4ए में राजाराम पुत्र भैरूलाल दर्ज रिकार्ड है। आर0सी0 प्रदर्श 5ए में राजाराम मीणा पुत्र भैरूलाल मीणा, राशनकार्ड प्रदर्श 6ए में राजाराम मीणा पुत्र भैरू लाल, जोबकार्ड प्रदर्श 7ए में राजाराम पुत्र भेरूलाल मीणा, जनआधार कार्ड प्रदर्श 8ए में राजाराम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत जीरोद के प्रमाण पत्र अनुसार राजेन्द्र पुत्र भैरू एवं राजाराम पुत्र भैरू जाति मीना दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से जाहिर है कि प्रार्थी का सही नाम राजाराम पुत्र भैरूलाल ही है। अतः रिकार्ड एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

## —::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम जिरोद की विवादित आराजी खाता संख्या 246 ख0नं0 115 की 1.74 है0, ख0नं0 132 की 1.59 है0, ख0नं0 135 की 3.29 है0 किता 3 कुल रकबा 6.62 है0 में सहखातेदार राजेन्द्र पुत्र भैरू के स्थान पर राजाराम उर्फ राजेन्द्र पुत्र भैरू लाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**